संख्या-32/490/30-3-14-07बी/2007

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 29 मार्च, 2014

विषय- सम्भागीय परिवहन कार्यालय, मुरादाबाद के पूर्व निर्मित भवन की मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत रू0 17,57,000/- (रू0 सत्रह लाख सत्तावन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किस्त अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-36नजा0/2014-57ए/2011, दिनॉक 20-02-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्भागीय परिवहन कार्यालय, मुरादाबाद के पूर्व निर्मित कार्यालय भवन की मरम्मत हेतु शासनादेश संख्या-220/तीस-3-2013-7बी/2007टी0सी0, दिनॉक 20-02-2013 द्वारा रू0 17,57,000/- (रू0 सत्रह लाख सत्तावन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमा तक प्रथम किस्त के रूप में रू0 11,25,000/- (रू0 ग्यारह लाख पचीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- आपके उपरिसन्दर्भित पत्र के साथ प्रश्नगत मरम्मत कार्य के उपलब्ध कराए गए उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा मरम्मत कार्य के संतोषजनक होने के प्रस्तुत प्रमाण-पत्र के आधार पर द्वितीय किस्त के रूप में अवशेष देय धनराशि रू0 6,32,000/- (रू0 छह लाख बत्तीस हजार मात्र) के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि की सीमा तक रू0 5,82,000/- (रू0 पॉच लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-220/तीस-3-13-7बी/2007टी0सी0, दिनॉक 20-02-2013 में निहित शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-32/490(1)/तीस-3-2014, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 (उत्तर प्रदेश जल निगम), लखनऊ द्वारा परिवहन आयुक्त।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in